

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2024 /2010 /अजमेर

मैसर्स अरिहन्त प्रोडक्ट,  
पहाड़िया प्रेस कम्पाउण्ड, ब्यावर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

• श्री मनोहर पुरी, सदस्य

### उपस्थित :

श्री एस.के.जैन,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.12.2014

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) अजमेर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.08.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या—70/2010-11/वैट/ब्यावर के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-अ, अजमेर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 55 व 58 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश, दिनांक 25.03.2010, के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी नमकीन का वि-निर्माण कर, विक्रय करता है, जिसके लिये अपीलार्थी व्यवहारी कच्चे माल के रूप में बेसन, खाद्य तेल एवं मसाले प्रयुक्त करता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26.03.2009 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे “सक्षम अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा किया गया। वक्त सर्वेक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर दो लूज पेपर पाये गये, जिनमें कच्चे माल (तेल एवं दालों) के क्रय संबंधी विवरण अंकित थे, जिन्हें करापवंचन के सन्देह में सक्षम अधिकारी द्वारा, दो गवाहों की उपस्थिति में अधिनियम की धारा 75(4) के तहत पाये गये दो लूज पेपर को अभिग्रहित कर, अधिनियम की धारा 75(1) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संधारित लेखा पञ्चकों से जांच पारम्पर की गयी। आयक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान,

जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 37(4) के तहत जारी आदेश दिनांक 09.10.2009 की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त बनाया गया अभियोग प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा अभिग्रहित दस्तावेजों यथा:-लूज पेपर Exb-1(पेज-2) में वर्णित जो कि दलाल गणपत राज लोढ़ा, ब्यावर द्वारा दलाली का हिसाब अपीलार्थी व्यवहारी को भेजा था, के संबंध में जांच करने पर यह पाया कि उक्त हिसाब अपीलार्थी व्यवहारी के बहीयात में दर्ज नहीं थे। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2010 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किये जाने के कारण, नोटिस, उपरिथित दिनांक 15.03.2010 के लिये जारी किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर चाहे जाने पर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जब्त किये गये दो लूज पेपर में अंकित माल की कीमत का आंकलन करने पर खाद्य तेल रु.70,70,700/-, चना दाल रु. 19,75,100/- तथा बेसन रु.941/- की खरीद उचंती पायी जाने पर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित खरीद के आधार पर नमकीन निर्माण में समस्त खर्च तथा लाभांश जोड़ते हुए कुल बिक्री रु.1,20,00,000/- करापवंचित बिक्री आंकते हुए कर रु.4,80,000/-, अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु.9,60,000/- व अनुवर्ती ब्याज रु.1,39,200/- आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया।

3. इसी प्रकार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि रु.19,383/- को सत्यापन के अभाव में, अस्वीकार कर, अनुवर्ती ब्याज राशि रु.5,595/- आरोपित की गयी एवम् निर्धारण वर्ष 2006-07 की अग्रेषित राशि का समायोजन रु.17,665/- अस्वीकार किया गया। इस प्रकार कुल विवादित मांग राशि रु.15,84,795/- प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर रु. 4,80,000/-, अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु.9,60,000/- व अनुवर्ती ब्याज रु.1,39,200/- की मांग राशि को यथावत रख, अनुवर्ती ब्याज राशि रु.5,595/- व अग्रेषित राशि समायोजन रु.17,665/- पर वक्त सुनवायी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण उक्त को अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश पारित किया गया। जिससे व्यक्ति होकर

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।
5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर किये गये सर्वेक्षण दिनांक 26.03.2009 को किये जाने पर एक लूज पेपर Exb-1(पेज-1) मैसर्स मरुधर फूड्स प्रा.लि., सुमेरपुर द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 13567 दिनांक 24.03.2009 का जिस पर माल क्य करने वाले का नाम मैसर्स गौरी नमकीन, ब्यावर अंकित है तथा 30 कि.ग्रा. बेसन कीमतन रु.880/-, वैट एक प्रतिशत की दर से रु.8.80 पैसे अन्य खर्च रु.52.20 पैसे कुल रु.941/- अंकित है, उक्त इन्वॉयस का जमा खर्च अपीलार्थी व्यवहारी ने इसलिये नहीं किया कि उक्त अपीलार्थी व्यवहारी के नाम (अरिहन्त प्रोडेक्ट) जारी नहीं किया गया था एवम् न उक्त पर टिन अंकित था। कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विकेता व्यवहारी से सत्यापन के अभाव में अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा होनो अवधारित कर, विक्य करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि एक अन्य लूज पेपर Exb-1(पेज-2) जो अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाया गया था, जिस पर श्री गौरी नमकीन ब्यावर वालों का खाता दिनांक 01.04.2007 अंकित है एवम् दलाल गणपत राज लोढ़ा शीतलामाता मार्ग, ब्यावर की रबड़ सील अंकित है। पेपर के बांई ओर माल "लीना", माल वजन, भाव तथा दलाली अंकित है तथा दांई ओर तिथि के साथ माल बेचने वाले का नाम एवम् वजन लिखा हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त लूज पेपर्स अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित नहीं है क्योंकि पाये गये लूज पेपर पर अपीलार्थी व्यवहारी का नाम अंकित नहीं है, न ही अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा तैयार किया गया है, पेपर दलाल गणपत राज लोढ़ा द्वारा लिखा गया है लेकिन उक्त उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, लूज पेपर पर अंकित विक्य करने वाले व्यवहारियों से पेपर में वर्णित लेने-देन का कोई सत्यापन अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने नहीं किया है तथा दलाल के बयानों से भी इस पत्र में लेन देन का संबंध अपीलार्थी व्यवहारी से होना प्रमाणित नहीं किया है।
6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के पश्चात दिनांक 28.03.2009 को दलाल के बयान सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज किये गये थे जिसमें दलाल द्वारा सक्षम अधिकारी को उसके द्वारा अपनायी जाने वाली के बारे में बताया था कि सर्वप्रथम माल क्य करने के सौदे के लिये आदेश दूरभाष पर आने पर

पार्टी के खाते में अंकित किया जाता है इसके बाद दलाली का बिल तैयार किया जाता है जिस पर दलाल अपनी सील एवं हस्ताक्षर करता है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त दिये गये बयान में दलाल ने कहीं नहीं प्रकट किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कभी भी किसी भी वस्तु के क्य विक्रय के लिये फोन आया था, दलाल ने बयान में जो बात गौरी नमकीन तथा अपीलार्थी व्यवहारी के एक होने की कही यह बात जांच अधिकारी ने जानबूझकर लिखी है क्यों कि प्रतिपरीक्षण के समय दलाल ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की कि अपीलार्थी व्यवहारी को ही सामान्य बोलचाल में गौरी नमकीन माना जाता है। दलाल के बयान लेने की कार्यवाही को अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना प्रकट कर, तर्क किया कि अधिनियम की धारा 70 के तहत जांच सक्षम अधिकारी ने अधिनियम की धारा 92 के तहत साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया था, इसी प्रकार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने भी नोटिस जारी किया था जिसका जवाब दलाल ने शपथ पत्र के साथ दिनांक 25.03.2010 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी उक्त लूज पेपर Ex-1 (पैज-2) में अंकित संव्यवहार का अपीलार्थी व्यवहारी से होने का सत्यापन प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी करने में असफल रहे थे। अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी अन्य व्यवहारी के पर्चे/दस्तावेजों में अंकित संव्यवहारों को प्रमाणित किये बिना व्यवहारी पर दायित्व होना प्रमाणित नहीं होता है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सी.बी.आई. बनाम वी.सी.शुक्ला व अन्य, निर्णय दिनांक 02.03.1998 कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स श्याम इलैक्ट्रोनिक्स, जयपुर बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, 7 टैक्स अपडेट 341 में प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी किसी अन्य व्यक्ति के पास पाये गये दस्तावेजों के आधार पर बिना सत्यापन प्रार्थी व्यवहारी से संबंधित संव्यवहार होना मानकर, किया गया गया करारोपण विधिसम्मत नहीं है।

7. कथन किया कि पाये गये लूज पेपर्स में अंकित संव्यवहार अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित नहीं थे एवम् उक्त किसी अन्य गौरी नमकीन भण्डार से संबंधित थे। अतः उक्त कथित संव्यवहार जो अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित ही नहीं थे को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने नमकीन निर्माण मानते हुये जो करारोपण किया गया है वह साक्ष्यों के अभाव में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है। इसके अलावा अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित

तहत करापवंचित बिकी करारोपण के लिये करापवंचन का अभियोग बनने के छः माह के भीतर यह विवादित आदेश पारित नहीं किया गया था। अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26-3-09 को किया गया था तथा प्रकरण का निष्पादन दिनांक 25-3-10 को किया गया जो कि अवधिपार होने के कारण अपास्त योग्य है। कथन किया कि निर्धारण वर्ष 2007-08 का नियमित कर निर्धारण (अभियोग को छोड़कर) प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया है क्योंकि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी न तो अपीलार्थी का नियमित कर निर्धारण अधिकारी है, न ही आलौच्य अवधि का निर्धारण करने के लिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्राधिकृत किया है उक्त आधार पर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश आदेश अपास्त योग्य है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश दिनांक 06.10.2009 जो धारा-37(4) सपष्टित आयुक्त के परिपत्र दिनांक 07.08.2009 के तहत जारी किया गया है जबकि इस आदेश से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 75 के तहत मात्र जांच की गयी थी, करापवंचन प्रमाणित नहीं किया गया था, अतः उक्त आधार पर भी प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक ठहरता है।

8. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम अभिवाक् किया कि जिन कथित लूज पेपर्स के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी पर कर दायित्व एवं शास्ति आरोपित की गई है उक्त वर्णित संव्यवहार अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित होना प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया है ऐसे प्रकरणों में मान्नीय उच्चतर न्यायालयों ने कर व शास्ति को विधि सम्मत नहीं माना है। तर्क के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं—

(1991)टैक्स वल्ड 368 (राजस्थान हाई कोर्ट)

(1978) 42 एसटीसी 348 (सुप्रीम कोर्ट)

(2003)टैक्स अपडेट 341 (राजस्थान कर बोर्ड)

(1978) 42 एसटीसी 348 (सुप्रीम कोर्ट) स्टेट ऑफ केरल बनाम मैसर्स एम.एम. मैथ्यू

(2001) एस.टी.सी. 321

1989 एस.टी.सी. 62

1970 एस.टी.सी. 251

1974 आई.टी.सी. 97

9. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

10. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.03.2009 को नियमानुसार सर्वेक्षण किया गया था। हस्तगत प्रकरण में प्रथम विवादित बिन्दु यह है कि दलाल द्वारा दिये गये बयान एवम् पाये गये दस्तावेज, जिसके आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अभियोज दर्ज कर, मांग राशियां कायम की गयी हैं, अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित है कि नहीं ? इस संबंध में अपीलीय आदेशानुसार रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 146 से 148 पर उपलब्ध “प्लास्टिक पैकिंग” का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि गौरी नमकीन का निर्माता (मैसर्स अरिहन्त प्रोडेक्ट, ब्यावर फोन नं. 51187 अंकित है) अपीलार्थी व्यवहारी है, यही नहीं वक्त सर्वेक्षण पाया गया लूज पेपर Exb-1(पेज-1) मैसर्स मरुधर फुड्स प्रा.लि., सुमेरपुर द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 13567 दिनांक 24.03.2009 है जिस पर गौरी नमकीन ब्यावर को 30 कि.ग्रा. बेसन विक्रय किया है वह भी ऊपर वर्णित “प्लास्टिक पैकिंग” पर अंकित विवरण के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी ही है जो अपीलार्थी व्यवहारी को बस द्वारा बस भाड़ा रु.50/- चुकाते हुये (जिसे बिल में भी अंकित किया गया है) अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का तर्क कि उक्त प्राप्त किये गये माल का जमा खर्च, उक्त जारी इन्वॉयस में अपीलार्थी व्यवहारी का नाम नहीं होने तथा “टिन” अंकित नहीं होने के कारण नहीं किया गया है एवम् विक्रेता व्यवहारी द्वारा माल “सेंपल” के रूप में लाया गया था जिसे अपीलार्थी व्यवहारी ने लिया नहीं एवम् गौरी नमकीन अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित नहीं होने के कारण नियमित लेखा पुस्तकों में जमा खर्च नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है। मैसर्स मरुधर फुड्स प्रा.लि., सुमेरपुर द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 13567 दिनांक 24.03.2009 अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाया गया था एवम् अपीलार्थी व्यवहारी यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि गौरी नमकीन अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित नहीं है। उक्त तर्क भी अपीलार्थी के लिये मददगार नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा धारा 75(1) के स्पष्टीकरण में निम्न प्रकार प्रावधान है कि:-

**Explanation.** – There shall be a presumption in respect of goods, accounts, registers or documents, which are found at any place of business of a dealer during any inspection or search,

him.

11. उक्त स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट निर्देशित/अंकित है कि जांच के समय व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये दस्तावेज, रजिस्टर, खाते तथा माल व्यवहारी के व्यवसाय से ही संबंधित माने जायेंगे जब तक कि व्यवहारी अन्यथा प्रमाणित नहीं करें।

12. द्वितीय बिन्दु जो अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा “निर्धारण आदेश का अवधि पार होने” तथा “प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार न होने” के संबंध में उठाया गया, उक्त बिन्दु के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि हस्तगत प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 37(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकृत किया है। अतः उक्त बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

13. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति कि करापवंचन अभियोग अवधि पार होने के कारण बनाया गया प्रकरण विधिशून्य है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 25 का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25(3) के तहत समयावधि करापवंचन के अभियोग के बनाये जाने की तारीख से छः माह है। रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 75 के तहत जांच के पश्चात् प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2010 को जिस दिन करापवंचन का अभियोग बनाते हुये, इस संबंध में प्रथम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, करापवंचन का प्रकरण बनना संसूचित किया गया है। करापवंचन अभियोग बनाये जाने से छः माह के भीतर उक्त विवादित आदेश पारित किया जा गया है। अतः उक्त पारित आदेश को अवधि पार नहीं है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

14. अब इस पीठ के समक्ष तृतीय बिन्दु जो बिन्दु विचाराधीन है वह यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये लूज पेपर Exb-1(पेज-2) क्या व्यवहारी के व्यवसाय से संबंधित है ? रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त लूज पेपर व्यवसाय स्थल पर पाया गया है जिस पर गौरी नमकीन भण्डार का खाता होना अंकित है, धारा 75(1) स्पष्टीकरण अनुसार अपीलार्थी व्यवहार द्वारा गौरी नमकीन भण्डार को स्वयं से लिज्ज दोना प्रमाणित नहीं किया है। द्वितीय वाणिज्यिक जगत में व्यवसाय की

गतिविधियों के क्रम में कोई भी व्यवहारी स्वयं के व्यवसाय से असंबंधित दस्तावेज़ / कागज / कच्ची पर्चीयाँ / बिल / इन्वॉयस स्वयं नहीं लेता एवं अपने व्यवसाय स्थल पर नहीं रखता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी गौरी नमकीन के नाम से उत्पाद निर्माण कर, विक्रय करता है जिसके प्रमाणस्वरूप रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 146 से 148 पर संलग्न प्लास्टिक पैंकिंग सामग्री से मिलता है, जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा किसी प्रकार का कोई तर्क यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि उक्त स्पष्ट प्रमाण को अस्वीकार किया जाये। इसके अतिरिक्त लूज पेपर के जारीकर्ता दलाल गणपत राज लोढ़ा ने सक्षम अधिकारी के समक्ष दिये गये बयानों दिनांक 28.03.2009 में स्पष्ट कहा है कि मैसर्स अरिहन्त प्रोडेक्ट (अपीलार्थी व्यवहारी) को ही प्रचलित भाषा में गौरी नमकीन के नाम से जाना जाता है, प्रतिपरीक्षण के समय भी दलाल ने जो पता गौरी नमकीन का बताया है वह भी अपीलार्थी व्यवहारी के दुकान का ही पता है, उक्त दस्तावेजीय व दलाल द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर यह पूर्णतः प्रमाणित है कि उक्त विवादित लूज पेपर जिसमें संव्यवहार की विगत अंकित है, अपीलार्थी के व्यवसाय से संबंधित है। यही नहीं उक्त लूज पेपर, दलाल गणपत राज लौढ़ा, शीतलामाता मार्ग, ब्यावर ने अपनी दलाली के लिये अपीलार्थी व्यवहारी को हिसाब के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा दलाल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त लूज पेपर उसकी लिखावट में (पृष्ठ भाग के चार इन्द्राजों को छोड़ते हुए) स्वयं की हस्तलिपि में लिखा गया है। यही नहीं दलाल के बयानानुसार उक्त लूज पेपर उसकी बही के पृष्ठ क्रमांक 75 पर अंकित खाते की नकल है। अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में भी दलाल ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल लेने के सौदे तय हो जाने के पश्चात् ही दिनांक 02.04.2007 से दिनांक 14.03.2008 का हिसाब बनाकर अपीलार्थी व्यवहारी को दिया है। दलाल ने इस लूज पेपर पर स्वयं की दुकान का रबड़ स्टाम्प अंकित किया है एवं हस्तलिपि भी दलाल स्वयं की है ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि दलाल के हस्ताक्षर नहीं है जिसके कारण उक्त लूज पेपर (पर्चे) की वैधता नहीं है। अतः उक्त समस्त तथ्यात्मक व पाये गये प्रमाण, दलाल द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर वक्त सर्वेक्षण पाये गये उक्त दो लूज पेपर व्यवहारी के व्यवसाय स्थल से संबंधित हैं।

15. अब इस पीठ के समक्ष विनिश्चयीकरण हेतु निम्न बिन्दु हैं:-

(i) यह कि क्या सशक्त अधिकारी द्वारा दलाल श्री गणपत लोढ़ा, ब्यावर

के व्यवसाय स्थल पर पाये गये दलाली के हिसाबी दस्तावेज (पर्चे) के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की खरीद बिक्री प्रमाणित किये बिना ही, उक्त पर करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित है ?

(ii) यह कि क्या उप—पैरा (i) में अंकित दलाल के हिसाबी दस्तावेज के आधार पर असत्यापित माल यथा:- तेल व दाल का अन्य उत्पाद नमकीन की बिक्री अनुमानित किया जाना विधिक है ?

16. इस संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त अधिग्रहित दस्तावेज / पर्चे के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त पर्चे में माल विक्रेता व्यवहारियों का यथा:- मैसर्स चन्दाणी ऑयल मिल, मैसर्स अम्बिका ऑयल मिल, मैसर्स भगवान दाल मिल, मैसर्स नारायण दाल मिल, मैसर्स आईसी ऑयल मिल तथा मैसर्स विनोद उद्योग का खाता अंकित है जिसमें उक्त व्यवहारियों द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को कच्चा माल यथा तेल व दाल विक्रय किया गया है एवम् जिनकी दलाली का हिसाब दलाल के उक्त पर्चे में अंकित है, के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है । उक्त विक्रेताओं से माल के संबंध में सौदे, विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी तथा भुगतान के संबंध में कोई जानकारी एकत्रित नहीं की गयी है । माननीय उच्चतम न्यायालय सी.बी.आई. बनाम् वी.सी.शुक्ला व अन्य, निर्णय दिनांक 02.

03.1998 के न्यायिक दृष्टांत में यह निर्णित किया है कि:-

"In Beni Vs. Bisan Dayal [ A. I. R 1925 Nagpur 445] it was observed that entries in books of account are not by themselves sufficient to charge any person with liability, the reason being that a man cannot be allowed to make evidence for himself by what he chooses to write in his own books behind the back of the parties. There must be independent evidence of the transaction to which the entries relate and in absence of such evidence no relief can be given to the party who relies upon such entries to support his claim against another. In Hira Lal Vs. Ram Rakha [ A. I. R. 1953 Pepsu 113] the High Court, while negativing a contention that it having been proved that the books of account were regularly kept in the ordinary course of business and that, therefore, all entries therein should be considered to be relevant and to have been proved, said that the rule as laid down in Section 34 of the Act that entries in the

relevant whenever they refer to a matter in which the court has to enquire was subject to the salient proviso that such entries shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. It is not, therefore, enough merely to prove that the books have been regularly kept in the course of business and the entries therein are correct. It is further incumbent upon the person relying upon those entries to prove that these were in accordance with facts. The evidentiary value of entries relevant under Section 34 was also considered in Hiralal Mahabir Pershad (supra) I.D. Dua, J. (as he then was) speaking for the Court observed that such entries though relevant were only corroborative evidence and it is to be shown further by some independent evidence that the entries represent honest and real transactions and that monies were paid in accordance with those entries.

A conspectus of the above decisions makes it evident that even correct and authentic entries in books of account cannot without independent evidence of their trustworthiness, fix a liability upon a person."

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या करते हुये निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं—

Section 3 declares that a fact relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of the Act relating to the relevancy of facts; and those provisions are to be found in sections 6 to 55 appearing in Chapter II. Section 5, with which Chapter II opens, expressly provides that evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and the facts declared relevant in the aforesaid section, and of no others.

Section 34 of the Act reads as under:-

"Entries in books of account when relevant - Entries in book of account, regularly kept in the course of business, are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire but such statements shall not alone be sufficient

liability."

From a plain reading of the Section it is manifest that to make an entry relevant thereunder it must be shown that it has been made in a book, that book is a book of account and that book of account has been regularly kept in the course of business. From the above Section it is also manifest that even if the above requirements are fulfilled and the entry becomes admissible as relevant evidence, still, the statement made therein shall not alone be sufficient evidence, to charge any person with liability. It is thus seen that while the first part of the section speaks of the relevancy of the entry as evidence, the second part speaks, in a negative way, of its evidentiary value for charging a person with a liability. It will, therefore, be necessary for us to first ascertain whether the entries in the documents, with which we are concerned, fulfil the requirements of the above section so as to be admissible in evidence and if this question is answered in the affirmative then only its probative value need be assessed.

18. कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा मैसर्स श्याम इलैक्ट्रोनिक्स बनाम वा.क.आ., प्रतिरकापवंचन, 7 टैक्स अपडेट 341 में इसी प्रकार के तथ्यों पर विचार कर, निम्न प्रकार निर्णित किया है कि:-

"The learned AA could also have established connection of the appellants with the entries made in it by producing some of the customers whose names were found in it to testify that the evidenced by the entries were transacted by them with the appellants. Thus, having failed to establish that the slip pad recovered by him represented the hidden and unaccounted transactions of sale or purchase by the appellants, learned AA seems to have gone wrong while levying tax, interest and penalty on the sales just presumed by him in this case merely on the sole basis of a statement of Shri Shyam Dhoot which, for want of other corroborative evidence on record, had no force in law. Therefore, learned DC (Appeals) also appears to have committed an error in upholding illegal levy of tax, interest and penalty (u/s. 65 of the Act) on such presumed sales contrary to law.

19. अब अगर बिन्दु संख्या 15(ii) पर जिसमें उक्त कथित खरीद जिसमें निर्माण खर्चे व लाभांश को जोड़कर अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध बिकी गत्तमानित कर्त्ता कर्जापेण किया गया है वह उपरोक्त तथ्यात्मक विश्लेषण व

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अनुचित ठहरता है क्योंकि प्रथमतः खरीद का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, द्वितीयतः खरीद किये गये कथित माल के आधार पर नमकीन का निर्माण माना जाकर बिकी अनुमानित कर, करारोपण करना अविधिक है। कथित बिकी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी दस्तावेज / जांच अथवा निष्कर्ष का अवलम्बन नहीं लिया है। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा भी उपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है

"Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondents, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transaction carried on by the respondent and none else.".....

The connection of the respondents with the entries in the books could also have been established by producing some of the customers whose names were found in the books of testify that the deals evidenced by the entries were transacted by them with the respondents."

20. अतः सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार व बिना खरीद व बिकी प्रमाणित किये केवल दलाल के दलाली के हिसाबी पर्चे के आधार पर खरीद व बिकी अनुमानित कर, किया गया करारोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

21. फलस्वरूप, उक्त विश्लेषण के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाकर, प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे दलाल के पर्चे (अभिग्रहित दस्तावेज Exp-1(पेज-2) में अंकित व्यवहारियों से उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की गयी बिकी / बिकी के प्रतिफल के रूप में प्राप्त भुगतान, परिवहन तथा सुपुर्दगी संबंधी तथ्यों की जांच कर, अपीलार्थी की खरीद की पुष्टि कर, तत्पश्चात् करारोपण की कार्यवाही करें। इस संबंध में सक्षम अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे करारोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करें। साथ ही उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अन्य अभिग्रहीत दस्तावेज Exp-1 (पेज-1) वैट इन्वॉयस जो मैसर्स मर्लधर फूड्स प्रा.लि., सुमेरपुर

पर पाया गया है, के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा जांच करवायी जा सकती थी कि क्या उक्त इन्वॉयस उसके नियामित हिसाबी बहीयात में दर्ज है या नहीं ? जारी इन्वॉयस का भुगतान किस के द्वारा किया गया है ? अगर जारी इन्वॉयस का भुगतान यदि अपीलार्थी से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया है तो खरीद एवम् उससे उत्पादित माल की बिक्री का अपवंचन मानकर, नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

22. अतः अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

मनोहर पुरी  
5.12.2014

( मनोहर पुरी )

सदस्य

मदन लाल  
5.12.2014

सदस्य